

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 279/2025

श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ राजस्थान  
बनाम  
-वादी-

1. श्री माडू सिंह पुत्र श्री निका सिंह जाति नाई नि.सन्तपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणदास वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन चानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- वादी जगवीर सिंह को चक नम्बर 01 ए.एम.पी. पटवार हल्का सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान की अंतिम चौसला आधार संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 75/69 मे प.न. 163/132 के मु.न. 39 मे किला नं. 23, 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है. नहरी यानि कुल 0.759 है. नहरी व चक नम्बर 2 ए.एम.पी. पटवार हल्का सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान की अंतिम चौसला आधार संवत् 2070-2073 के खाता सं. 127/107 के प.न. 163/133 के मु.न. 58 मे किला नं. 4, 5 प्रत्येक की 0.253 है. नहरी यानि कुल 0.506 हैक्टर नहरी इस प्रकार दोनो चको की कुल 1.265 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग से कायम किये जाकर इसी हद तक प्रतिवादी सं. 1 माडू सिंह का नाम तर्क करने तथा प्रतिवादी सं. 01 माडू सिंह को चक नम्बर 3 के.एस.डी. पटवार हल्का 2 आई.डी.जी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान की अंतिम चौसला आधार संवत् 2070-2073 के खाता सं. 146/30 मे प.न. 163/124 के मु.न. 7 मे किला नं. 23 की 0.253 है., प.न. 163/125 मु.न. 16 किला नं. 1/1 की 0.228 है. नहरी, 1/2 की 0.025 है. गै.मु. खाला, किला नं. 2/1 की 0.228 है. नहरी, 2/2 की 0.025 है. गै.मु.खाला, किला नं. 3/1 की 0.228 है. नहरी, 3/2 की 0.025 है. गै.मु.खाला किला नं. 9 की 0.253 है. नहरी इस प्रकार कुल 1.265 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जावे व इस हद तक वादी जगवीर सिंह का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।  
निज.  निल.  मुब्लिक.  निल.  बाबत.  निल.  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.  अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 19.6.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
मंगरिया